श्री दिग्विजय सिंह

मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश

का

भाषण

सबके लिये शिक्षा

पर

मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन

नई दिल्ली

15 फरवरी, 1994

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरसिंहराव जी, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री अर्जुन सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्रीगण, देवियों और सज्जनों,

एक ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते, जिसे अपनी आबादी के 57 प्रतिशत लोगों को साक्षर बनाना है, उत्तरदायित्व का बहुत बड़ा बोझ लिये मैं आज आपके बीच उपस्थित हूं। 14 वर्ष तक आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध हमारे संविधान के निर्देशक सिद्धान्त के रूप में प्रतिष्ठित है। हमारे उस संकल्प के 44 वर्ष बाद आज भी हमारे बच्चे तीन वर्गों में बंटे हुए हैं। इनमें एक छोटा प्रतिशत उनका है जिन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलती है, दूसरे-बड़ी संख्या में वे बच्चे हैं जिन्हें ऐसी प्राथमिक शिक्षा मिलती है जिसमें कोई सार नहीं है और तीसरे, उन बच्चों का काफी बड़ा प्रतिशत है जिन्हें शिक्षा मिलती ही नहीं है। इसके बावजूद कि शिक्षा ऐसा क्षेत्र है जिसमें विनियोजन का प्रतिफल हमारी अर्थ-व्यवस्था के अनेक क्षेत्रों से कहीं ज्यादा मिलता है। फिर, शिक्षा अपने आप में कल्याणकारी है। अपनी संभावना को साकार करने के लिए किसी व्यक्ति को उपलब्ध विकल्पों में से चुनाव करने का शिक्षा अवसर बढ़ाती है। यह बड़े संतोष की बात है कि सबके लिए शिक्षा और इससे निकट से जुड़े शिक्षा के प्रबंध के विकेन्द्रीकरण के विषय में विचार विमर्ष करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों का यह सम्मेलन आयोजित किया हैं।

2. माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में विश्व समुदाय के समक्ष यह बात जोर से दोहरायी है कि सामाजिक दायरे में अवसर की समानता दिलाने और आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के लिए राज्य के हस्तक्षेप के बारे में भारत "मध्य मार्ग" का अनुगमन करना चाहता है ताकि लोगों की रचनात्मक ऊर्जा के सहारे आगे बढ़ा जा सके। इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की भूमिका को कहीं अधिक बढ़ाने की जरूरत होगी, क्योंकि शिक्षा सबसे सबल वह अस्त्र होगी जिसके बल पर निरीह जन धरती की विरासत पर अपना अधिकार जता सकेंगे। श्री राजीव गांधी और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1986 में रचित राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सबके लिए प्राथमिक शिक्षा के संविधान में निर्दिष्ट लक्ष्य को कार्यशील बनाने के लिए विस्तृत रणनीति व्याख्यायित की। 1988 में आरंभ किये गये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने शिक्षा को जन आन्दोलन बनाने के लिए एकदम नया वातावरण निर्मित किया है। हम देख रहे हैं कि यह आन्दोलन इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि यह दूसरा स्वाधीनता आन्दोलन होगा। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा बड़ी दक्षतापूर्वक आयोजित दिल्ली में हाल ही में संपन्न सबके लिए शिक्षा विषयक शिखर सम्मेलन ने भी इन मुद्दों पर दुबारा ध्यान केन्द्रित किया है। मुझे इसमें संदेह नहीं कि सबके लिए शिक्षा का मुद्दा विकास की हमारी विषय सूची में अन्ततः उचित ही केन्द्रीय सरोकार बन रहा है।

3. तीन कारणों से यह बैठक बहुत सामयिक है। पहले तो यह हमारी राजनीतिक इच्छाशक्ति का स्पष्ट संकेत है कि समाज के कमजोर तबकों को विकास के लिए अवसरों की रचना उपलब्ध होगी और शिक्षा को हम इसके लिए प्रेरक शक्ति मानते हैं। दूसरे, संविधान के ऐतिहासिक तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संशोधन

के जरिये पंचायत राज संस्थाओं में अब जो प्राण फूंके जा रहे हैं उससे अन्ततः ऐसा समर्थ वातावरण बनेगा जिसमें शिक्षा को जन-आन्दोलन बनाना संभव होगा। तीसरे, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत हमें कार्यक्रम संबंधी सहायता उपलब्ध है जिसके साथ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है जिसे हमने प्रदेश में राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन का रूप दिया है।

4. ऐसे प्रदेश में जहां सबके लिए शिक्षा हिम्मत पस्त करने वाली चुनौती हो, समर्थन का यह वातावरण उस चुनौती को स्वीकार करने का आत्मविश्वास और आश्वासन देता है। प्रदेश का भरोसा इस बात से और भी बढ़ता है कि हम विकेन्द्रित कार्ययोजना के जरिये इस चुनौती को जनता के साथ मिल-बांटकर पूरा करेंगे। सत्ता संभालने के 20 दिनों के भीतर हमारी सरकार ने संविधान के तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संशोधनों के अनुरूप जनता को अधिकार सौंपने के लिए पंचायत राज अधिनियम पारित कराया। अब ऐसा सहज वातावरण बना है जिसमें हम अपनी योजनाओं को रूपायित कर सकेंगे।

5. मध्यप्रदेश में जो काम किया जाना है उस पर विहंगम दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि इस प्रदेश की 6 करोड़ 60 लाख से अधिक जनसंख्या में से केवल 43.5 प्रतिशत लोग साक्षर है, जबकि राष्ट्रीय औसत 52 प्रतिशत है। प्रदेश के कुल 45 जिलों में से 38 जिले साक्षरता में राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं। जनसंख्या वृद्धि को घटाने और सामाजिक विकास में योगदान करने में शायद सबसे महत्वपूर्ण नियामक, महिला साक्षरता में प्रदेश का 28 प्रतिशत का औसत 39.4 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है। प्राथमिक शिक्षा के लिए हमारे प्रदेश में 72,000 प्राथमिक और पूर्व-प्राथमिक

शालाएं हैं जिनमें से 6000 के अपने शाला भवन नहीं हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था अधिकांशतः सरकार द्वारा संचालित है और वर्षों से इसने सामुदायिक सहभागिता को निर्बल किया है। अब हम इसे दुबारा बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं।

6. इन लक्ष्यों तक पहुंचने की हमारी कार्य-योजना आगे बतायी गयी बातों पर केन्द्रित है:

• मध्यप्रदेश में हमने संविधान के तिहत्तरवें संशोधन के अनुरूप पंचायत राज अधिनियम पारित कर लिया है और इसके तुरन्त बाद नगरपालिक अधिनियम बनाया जा रहा है। इस तरह प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र को पूरी तरह विकेन्द्रित करने की तैयारी हो चुकी है। सभी सरकारी प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शालाओं और औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों को हम स्थानीय संस्थाओं को सौंपने जा रहे हैं। तब ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं जैसी स्थानीय संस्थाओं का अपने क्षेत्रों की शिक्षण संस्थाओं पर पूरा नियंत्रण होगा। हर बच्चा शाला जाय और हर निरक्षर साक्षर बने, इसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जन-मानस बनाने की पहल का वे नेतृत्व कर सकेंगी।

• जवाहर रोजगार योजना और अन्य रोजगार योजनाओं के लिए दी गयी विकास धनराशि का नियंत्रण पहले ही पंचायतों को सौंपा जा चुका है। उन्हें निर्देश दिये जायेंगे कि वे शाला भवनों के निर्माण को प्राथमिकता दें ताकि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों।

• इस सदन को यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस वर्ष 4 जनवरी से हमने राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन शुरू किया है। 685 करोड़ रुपयों की लागत वाले इस

मिशन का उद्देश्य प्रदेश के 19 चुने हुए जिलों में प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण है। इस मिशन का आधार सामाजिक सक्रियता होगी और हमने जिला स्तरीय समितियां गठित करने की पहल शुरू कर दी है, जो स्वायत्त रूप से कार्यक्रम बनायंगी और उन्हें क्रियान्वित करेंगी।

• प्रदेश के कुछ जिलों में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की मदद से शिक्षक समाख्या नाम से शिक्षकों को समर्थ बनाने का अभिनव कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों को अपना काम अधिक दक्षतापूर्वक करने के लिए प्रेरित करना है। ऐसी व्यवस्था की गयी है कि उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों का फुर्ती से निराकरण हो। उन्हें शिक्षक संसाधन केन्द्रों में समूहों में संगठित किया गया है ताकि उनमें विचारों के परस्पर आदान-प्रदान को बढ़ावा मिले, उनकी दक्षता बढ़े और वे शिक्षा में सहायक किफायती उपकरणों का विकास कर सकें। इस कार्यक्रम को उल्लेखनीय सफलता मिली है और हम इसे चरणों में सारे प्रदेश में लागू करना चाहते हैं।

• बाल श्रमिकों की समस्या के समाधान के लिए एक नवाचारी कार्यक्रम 'शिक्षा के लिए अन्न' नाम से अगले वर्ष एक मार्गदर्शी कार्यक्रम के रूप में शुरू किया जायगा। इसके तहत जितने दिन कमाऊ बच्चा शाला जाता है उतने दिन की मजदूरी के बराबर अनाज उसके माता-पिता को दिया जायगा। इस तरह गरीब मां-बाप को अपने बच्चे को शाला भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

• औपचारिक शालेय शिक्षा की प्रणाली चूंकि शाला जाने की उम्र के उन बच्चों तक नहीं पहुंच सकेगी जो काफी अर्से

से सुदूर इलाकों में रह रहे हैं, इनकी शिक्षा के लिए हमें कई विकल्प तैयार करने की आवश्यकता होगी। मध्यप्रदेश में हम प्रभावी खुली शाला प्रणाली स्थापित कर इसकी व्यवस्था करेंगे। इस प्रयास में इलेक्ट्रानिक संचार माध्यमों का व्यापक उपयोग होगा और औपचारिकेतर शिक्षा प्रणाली का भी उपयोग किया जाएगा।

• हमारी सरकार पाठ्यक्रम की पुनर्रचना पर जोर दे रही है ताकि सांप्रदायिक सद्भाव, समानता और अच्छे नागरिक बनने के आदर्शों को बच्चे हृदयंगम कर सकें। इस काम में गैर-सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों को शामिल करने की हमारी योजना है ताकि यह केवल लीक पर चलने की कर्जिश न हो वरन रचनात्मक प्रयास हो।

• एक दूसरा क्षेत्र, जिसको हम उच्च प्राथमिकता देंगे, वह है व्यावसायिक शिक्षा। यह जरूरी हैं जिससे विद्यार्थी स्कूल में 12 वर्ष पढ़ने के बाद सीधे व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिये आवश्यक कुशलता अर्जित कर आजीविका कमा सके। इससे उच्च शिक्षा की व्यवस्था पर दबाव भी कम होगा। वर्तमान में राज्य में 323 उच्चतर माध्यमिक शालाओं में 23 व्यावसायिक, पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारी योजना इस संख्या में वृद्धि करने और व्यावसायिक शिक्षा को हाय स्कूल के स्तर तक ले जाने की है। हमने भारत सरकार को 30 ऐसी शालाओं में पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिये प्रस्ताव भेजा है और हम इसको शीघ्र स्वीकृति दिये जाने का आग्रह करते हैं।

• साक्षरता मिशन अभियान के रूप में गतिशील हो चुका है और इस समय इसके दायरे में 26 जिले हैं। अब तक 10

लाख 40 हजार से ज्यादा लोग साक्षर बनाये जा चुके हैं। और 7 जिलों की परियोजनाओं पर विचार हो रहा है। इस वर्ष 31 मार्च तक बाकी के 12 जिलों की परियोजनाएं भी प्रस्तुत कर दी जायंगी। नव-साक्षरों के लिए 2818 शिक्षण निलयम स्थापित किये जा चुके हैं और इसे और भी बढ़ाने की योजना बनायी जा रही है। इस बात के उत्साहजनक प्रमाण हैं कि साक्षरता मिशन प्रदेश में गतिशील हो रहा है।

• दोनों मिशनों की सफलता और समेकित बाल विकास योजना के जरिये किये गये हस्तक्षेप के बीच बढ़े मजबूत अंर्तसंबंध है। हमारा यह प्रयास है कि इन दोनों कार्यक्रमों के बीच अधिक से अधिक तालमेल हो। ग्राम समितियों के जरिये हम ऐसा सम्युञ्जन करना चाहते हैं ताकि पंचायतों को सौंपे जा रहे तीनों कार्यक्रमों की निगरानी ये समितियां कर सकें।

• सरकार के भीतर हमें विभक्ति, यहां तक कि शिक्षा के क्षेत्र के भीतर भी विभक्ति, कभी-कभी दिखायी पड़ती है। हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह एक बड़ी बाधा है। हमारे अपने स्तर पर अब तक प्राथमिक शिक्षा एक विभाग के अधीन हैं तो प्रौढ़ शिक्षा दूसरे के अधीन। मैंने इस प्रणाली को बदलने का निश्चय किया है और इन दोनों कार्यक्रमों को शिक्षा विभाग के अधीन लाने का तय किया है ताकि तालमेल बढ़े। जैसा कि मैं देखता हूं हमारी बढ़ी संगठनात्मक चुनौती सरकार के संगठनात्मक ढांचे में लचीलापन लाना है ताकि लोग उनसे सीधे जुड़ सके।

• आज जब सारी दुनिया में समाज राज्य की भूमिका को चुनौती दे रहे है और पहल अपने हाथों ले रहे है, वह समय

आ गया है जब कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सामाजिक समूहों जैसे गैर-सरकारी संगठनों को शरीक किया जाय। मध्यप्रदेश सरकार इसके लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि प्रामाणिक गैर-सरकारी पहल के लिये अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो। शिक्षा के क्षेत्र में हम चाहेंगे कि उनकी आज जितनी शिरकत है उससे कहीं अधिक उनकी हिस्सेदारी हो। इस क्षेत्र में बस्तर जैसे सुदूर जिले, जहां रामकृष्ण मिशन ने अत्यन्त पिछड़ी आदिम जाति अबूझमाड़िया के लिये उल्लेखनीय कार्य किया है, में भी गैर-सरकारी संगठनों की शिरकत के बड़े संतोषजनक प्रयोग हमारे यहाँ हुए हैं। सहभागी पहल के लिये समान विषयसूची विकसित करने के लिये हमने 'कपार्ट' के साथ मिलकर प्रादेशिक स्तर पर मार्च के मध्य में प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर के अग्रणी गैर-सरकारी संगठनों से विचार-विमर्ष करना तय किया है।

• शिक्षा के लिहाज से अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ प्रदेश होने के नाते हमें इस बात का अहसास है कि इस तरह कि लामबन्दी के बहुत से आनुषंगिक लाभ भी होंगे। वित्तीय संसाधनों को मानव संसाधनों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। विकेन्द्रीकृत स्थिति में पर्यवेक्षण करने वाली पूर्वापर प्रशासनिक संरचना फिजूल हो जाती है। हमने हाल ही में देखा है कि कुछ प्रदेशों में शिक्षित महिलाएं शराब की बिक्री का विरोध कर रही हैं। इस प्रक्रिया में जो रचनात्मक ऊर्जा निकलती है उसका उपयोग रचनात्मक सामाजिक पहल में करने का हमारा इरादा है।

7. इस क्षेत्र में हमारी उपलब्धि के सामाजिक सम्परीक्षण के लिये हम अपनी सरकार को प्रस्तुत करेंगे। सांख्यिकी कई बातों को छुपाती है। हमारे सरकारी प्रतिवेदनों में 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग की सकल भर्ती 86.78 प्रतिशत बतायी गयी है और राष्ट्रीय

स्तर पर सरकार का दावा 102 प्रतिशत के औसत का है। वास्तविकता यह है कि प्रायोगिक अध्ययनों से यह बात सामने आयी है कि पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों के द्वारा अर्जित ज्ञान का स्तर अत्यन्त नीचा है। इस स्थिति को सुधारने और इस क्षेत्र की योजना बनाने के लिये निर्भर योग्य जानकारी जुटाने में हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है। हमारी सरकार प्रतिवर्ष प्रदेश के लिये मानवीय विकास प्रतिवेदन की प्रस्तुति शुरू करने का इरादा रखती है। इस प्रतिवेदन से हमारी यह अपेक्षा होगी कि पोषण, अन्न सुरक्षा, साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा, सुरक्षित पीने का पानी, स्वास्थ्य, टीकाकरण, शिशु मृत्यु दर और अपेक्षित आयु के मामले में हमारी वर्तमान स्थिति का संदर्भ प्रस्तुत कर सकें। मानव विकास के क्षेत्र में कुछ अन्य भारतीय प्रदेशों की तुलना में हम अपनी अपेक्षाकृत दयनीय स्थिति जानते है। यह प्रतिवेदन बदलाव के लिये हमें सतत् स्मरण दिलाने का काम करेगा।

8. अपने विचार व्यक्त करने का जो अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिया उसके लिये मैं उनका बहुत आभारी हूं। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहूंगा कि कम से कम समय में सबके लिये शिक्षा के लक्ष्य की ओर बढ़ने के अपने प्रयास में हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे।

शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल